

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 05.02.2026

अंतर्राज्यीय अपराध गिरोह पर संतकबीरनगर पुलिस की बड़ी चोट

चोरी की चारपहिया गाड़ी, 20 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा व लगभग 5 लाख रु0 नकद बरामद

जनपद संतकबीरनगर के चोरी की 03 घटनाओं का खुलासा

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री सतीश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय व प्रभारी सर्विलांस सेल श्री अभिमन्यु सिंह के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 05.02.2026 को अभियुक्तगण नाम पता 01. रमेश शाह पुत्र बृजकिशोर शाह निवासी मोहम्मदपुर निर्मल टोला थाना माधोपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य 02. मोहम्मद सिराज पुत्र स्व0 अजुल हकीमी निवासी बंगरा वाजीद थाना मरियारी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार राज्य को बालूसाशन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी व बरामदी के आधार पर मु0अ0सं0 49/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की बढ़ोतरी किया गया ।

प्रथम घटना- दिनांक 01.10.2025 को वादी अनिल कुमार यादव पुत्र राधेश्याम निवासी भगता थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत अपने वाहन होण्डा मोबिलियो कार से जमीन देखने घोरखल गायत्री पुरम आया था, जहां से अज्ञात चोर द्वारा वाहन चोरी कर लिया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 892/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

द्वितीय घटना- दिनांक 03.12.2025 को वादी श्री प्रार्थी विजय चन्द्र चौधरी पुत्र रामवृक्ष चौधरी निवासी बरडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि चमनगंज चौराहे पर स्थित मेरी दुकान व मकान के दरवाजे के सामने से रात्रि में बोलेरो गाड़ी चोरी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 469/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

तृतीय घटना- दिनांक 26.01.2026 को वादी श्री सलीम खान पुत्र रफीक खान निवासी मथुरा खुर्द थाना ललिया जनपद बलरामपुर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं अपने भाई गोले की बोलेरो गाड़ी लेकर बरदहिया बाजार करने आया था, रात्रि में उक्त गाड़ी सरदार ढाबा के समीप खड़ी करके बाजार करने हेतु बरदहिया बाजार चला गया था, बाजार करके जब वापस आया तो मेरी गाड़ी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 37/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- रमेश शाह पुत्र बृजकिशोर शाह निवासी मोहम्मदपुर निर्मल टोला थाना माधोपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य ।

- मोहम्मद सिराज पुत्र स्व0 अजुल हकीमी निवासी बंगरा वाजीद थाना मरियारी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार राज्य।

बरामदगी का विवरण:-

- ❖ 01 अदद बैगनार कार।
- ❖ 20 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा।
- ❖ लगभग 5 लाख रु0 नकद।
- ❖ 02 अदद मोबाइल।

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त रमेश शाह द्वारा बताया गया कि हम लोगों का एक संगठित गैंग है, मैं गैंग का लीडर हूँ। हम लोग चारपहिया वाहनों की चोरी करते हैं तथा उससे प्राप्त धन को आपस में बाटकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से गाड़ियों की चोरी करके बिहार ले जाकर कम दामों में कबाड़ियों को बेच देते हैं तथा कुछ गाड़ी दूर दराज अन्य लोगों को बेच देते हैं। रमेश शाह द्वारा बताया गया कि वैगनार कार में जो गांजा है उसे मैं ज्यादा पैसे की चाह में बेचने के लिए ले जा रहा था। मोहम्मद सिराज पुत्र स्व0 अजुल हकीमी निवासी बंगरा वाजीद थाना मरियारी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार राज्य तथा परमेश्वर सोनी पुत्र टेगारी शाह निवासी बिजुलपुर थाना तुर्कवलिया जनपद मोतीहारी चम्पारण बिहार राज्य हम तीनों लोग साथ में मिलकर रात्रि में रोड पर या रोड के किनारे खड़ी गाड़ियों की रेकी करते हैं और मौका पाकर चोरी कर बिहार ले जाकर कबाड़ियों व अन्य व्यक्तियों को बेच देते हैं। उक्त पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से इतना पैसा लेकर चलने के बारे में पूछा गया तो बता रहे हैं कि साहब हम लोग गाड़ी चोरी व पुरानी गाड़ियों के खरीद विक्री का काम करते हैं। गाड़ी खरीदने के बहाने रेकी भी करते हैं, यदि कहीं ठीक ठाक गाड़ी मिल जाती है तो हम लोग चोरी न करके गाड़ी खरीद कर बिहार में ले जाकर बेचते हैं, जिससे समाज में लोग यह समझे कि हम लोग पुरानी गाड़ियों को उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार राज्य ले जाकर बेचने का कार्य करते हैं।

अपराधिक इतिहास

01. रमेश शाह

- मु0आ0सं0 128/2021 धारा 379,413,414 भादवि थाना हरैया जनपद बस्ती।
- मु0आ0सं0 189/2021 धारा 379,411,415,419,420,467,468,471 भादवि थाना हरैया जनपद बस्ती।
- मु0आ0सं0 201/2021 धारा 379,411 भादवि0 थाना हरैया जनपद बस्ती।
- मु0आ0सं0 58/2008 धारा 414 भादवि थाना बरौली जनपद गोपालगंज बिहार राज्य।
- मु0आ0सं0 01/2026 धारा 317(4),317(5),318(4),182(ए) बीएनएस थाना माधोपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य।
- मु0आ0सं0 892/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मु0आ0सं0 469/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0आ0सं0 37/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-

- एसओजी टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, हे०का० विवेक कुमार राय, हे०का० अनूप कुमार राय, का० अभिषेक सिंह, का० दीपक सिंह, का० सर्वेश मिश्रा, का० वीर बहादुर यादव, का० शुभम सिंह, का० विवेक मिश्रा, का० अरुण हलवाई।
- प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री सतीश कुमार सिंह, उ०नि० श्री सुरेश यादव, उ०नि० श्री राजीव कुमार सिंह, हे०का० अजय कुमार सिंह, हे०का० अमित कुमार सिंह, का० अंगद यादव, का० अनूप यादव।
- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय, उ०नि० श्री धर्मन्द्र कुमार मिश्रा, उ०नि० श्री अजीत कुमार, उ०नि० श्री धर्मनाथ यादव, का० जितेन्द्र सोनी, का० बलराम यादव।
- प्रभारी सर्विलांस सेल श्री अभिमन्यु सिंह, हे०का० रामललित, का० ज्ञानप्रकाश सिंह, का० अमरजीत मौर्य, का० नितीश कुमार, का० पीयूष गुप्ता।

नोट- पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000 रु० नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा चार पहिया वाहन, मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर लगने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत टेमा चौराहा से कालर द्वारा चार पहिया वाहन से मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर लगने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (01.विनय पुत्र हरिश्चन्द्र जनपद बाराबंकी 02.विवेक पुत्र विजेन्द्र 03.वीरु पुत्र बालक राम जनपद औरैया) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- हे०का० गौतम कुमार, का० बबलू कुमार यादव, हे०का० चालक रामन प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 168 वाहनों से 1,77,000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 05.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 168 वाहनों से 1,77,000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

अंतर्राज्यीय अपराध गिरोह पर संतकबीरनगर पुलिस की बड़ी चोट, चोरी की चारपहिया गाड़ी, 20 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा व लगभग 5 लाख रु0 नकद बरामद

जनपद संतकबीरनगर के चोरी की 03 घटनाओं का अनावरण

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. लखनऊ एवं *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, जोन गोरखपुर* के निर्देशन में तथा *श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती* के पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी, थाना बखिरा, थाना कोतवाली खलीलाबाद व सर्विलांस सेल की गठित टीम द्वारा आज दिनांक 05.02.2026 को अभियुक्तगण नाम पता 01. रमेश शाह पुत्र बृजकिशोर शाह निवासी मोहम्मदपुर निर्मल टोला थाना माधोपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य 02. मोहम्मद सिराज पुत्र स्व0 अजुल हकीमी निवासी बंगरा वाजीद थाना मरियारी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार राज्य को बालूसाशन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा जनपद संतकबीरनगर अन्तर्गत चोरी की 03 घटनाओं का अनावरण किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 49/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एकट पंजीकृत किया गया।

प्रथम घटना- दिनांक 01.10.2025 को वादी अनिल कुमार यादव पुत्र राधेश्याम निवासी भगता थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत अपने वाहन होण्डा मोबिलियो कार से जमीन देखने घोरखल गायत्री पुरम आया था, जहां से अज्ञात चोर द्वारा वाहन चोरी कर लिया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 892/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

द्वितीय घटना- दिनांक 03.12.2025 को वादी श्री प्रार्थी विजय चन्द्र चौधरी पुत्र रामवृक्ष चौधरी निवासी बरडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि चमनगंज चौराहे पर स्थित मेरी दुकान व मकान के दरवाजे के सामने से रात्रि में बोलेरो गाड़ी चोरी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 469/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

तृतीय घटना- दिनांक 26.01.2026 को वादी श्री सलीम खान पुत्र रफीक खान निवासी मथुरा खुर्द थाना ललिया जनपद बलरामपुर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं अपने भाई गोले की बोलेरो गाड़ी लेकर बरदहिया बाजार करने आया था, रात्रि में उक्त गाड़ी सरदार ढाबा के समीप खड़ी करके बाजार करने हेतु बरदहिया बाजार चला गया था, बाजार करके जब वापस आया तो मेरी गाड़ी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 37/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- रमेश शाह पुत्र बृजकिशोर शाह निवासी मोहम्मदपुर निर्मल टोला थाना माधोपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य।
- मोहम्मद सिराज पुत्र स्व0 अजुल हकीमी निवासी बंगरा वाजीद थाना मरियारी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार राज्य।

बरामदगी का विवरण:-

- ❖ 01 अदद बैगनार कार, 20 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा, लगभग 5 लाख रु0 नकद, 02 अदद मोबाइल।

आपराधिक इतिहास का कुल संख्या-

अभियुक्त रमेश शाह पुत्र बृजकिशोर शाह निवासी मोहम्मदपुर निर्मल टोला थाना माधोपुर जनपद गोपालगंज बिहार राज्य

08 मुकदमा

सादर

संदीप कुमार मीना

पुलिस अधीक्षक

जनपद संतकबीरनगर।

मेटा अलर्ट से प्राप्त आत्महत्या सम्बन्धी प्रकरणों में जनपद द्वारा प्रदान की जाने वाली बिंदुवार सूचना से सम्बंधित प्रोफोर्मा

1- जनपद एवं थाने का नाम- थाना महुली संतकबीरनगर।

2- पीड़ित का नाम- अमित कुमार पुत्र सुग्रीव निवासी काली जगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

3- पीड़ित के पिता का नाम- सुग्रीव

4- पीड़ित की उम्र- 17 वर्ष

5- पीड़ित का लिंग- (महिला/पुरुष)- पुरुष

6- पीड़ित की जाति- चौहान (ओ0बी0सी0)

7- पीड़ित का धर्म- हिन्दू

8- पीड़ित की शैक्षणिक योग्यता- 12वीं

9- पीड़ित का व्यवसाय (यदि छात्र है, तो किस कक्षा का छात्र है)- छात्र 12 वीं

10- पीड़ित के परिजन का नाम/रिश्ता एवं मोबाइल नंबर- सुग्रीव (पिता) मो0न0 7080109270 (पिता-पुत्र)

11- पीड़ित के द्वारा किस प्रकार की पोस्ट की गई (टेक्स्ट/फोटो/वीडियो अपलोड किया गया)- टेक्स्ट/विडियो

12- आत्महत्या का प्रयास करने का कारण- पोस्ट करने वाले छात्र द्वारा बताया जा रहा है कि यह पोस्ट गलती से मेरे द्वारा हो गया था जो डिलीट कर दिया हूं भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा।

13-काउंसलिंग करने वाले पुलिस कार्मिक का नाम/पद / मो0न0 - थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय मो0न0 9454404315/9161172000, उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, हे0का0 शम्स तवरेज आलम, का0 संघरतन, का0 विकाश साहनी, का0 रितेश यादव।

14- पीड़ित द्वारा इस प्रकार की पोस्ट न किये जाने के संबंध में लिखित / मौखिक आश्वासन- मौखिक आश्वासन

15- क्या पीड़ित / पीडिता द्वारा आत्महत्या न करने का आश्वासन दिया गया- हाँ

16- पीड़ित द्वारा लिखित / विडियो के माध्यम से दिए गए आश्वासन की प्रति उपलब्ध होने की दशा में मुख्यालय को प्रेषित करें- (विडियो, फोटो संलग्न)

17- पीड़ित के परिजनों की वीडियो प्रेषित करें जिसमें परिजनों के द्वारा पुलिस की तत्परता पूर्वक कार्यवाही की सराहना की गई हो- (विडियो संलग्न)